राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -15100/9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक–एफ–07 (197)/रालसा/संस्था–किराये वाहन /2021/11070 दिनांक 06-07-2021
बोली सूचना 03/2021-22 दि० 6-7-2021

वाहन किराये पर लेने हेतु बोली आमंत्रण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु 03 (सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु) वाहन जिनमें 02 महिन्द्रा बोलेरो (07 सीटर, वातानुकूलित) एवं 01 कार वाहन (स्विफ्ट डिजायर, वातानुकूलित) किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित फर्म एवं अनुभवी व्यक्तियों/वाहन स्वामियों/बोलीदाताओं से मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर/विभागीय वेबसाईट www.rlsa.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.07.2021 को दोपहर 02.00 बजे तक होगी। इस संबंध में कोई अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

06/07/2021

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

2021\vahan nivida.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -15100/9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

वाहन किराये पर लेने की बोली सूचना–3./2021–22/ दिनांक 06-07-2021

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय के लिए 03 (सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु) वाहन जिनमें 02 महिन्द्रा बोलेरो (07 सीटर, वातानुकूलित) एवं 01 कार वाहन (स्विफ्ट डिजायर, वातानुकूलित) किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित फर्म/अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/बोलीदाता/ से मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	किराये पर लिए जाने वाले वाहन का विवरण	क्षेत्राधिकार	अनुमानित लागत	बोली दस्तावेज राशि	बोली प्रपत्र विक्रय की तिथि	बोली जमा करने की तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
01.	02 महिन्द्रा बोलेरो (07 सीटर, वातानुकूलित)	सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु	5.81 लाख	500/–	07.07.2021 से 13.07.2021 मध्यान्ह 12.00 बजे तक	दिनांक 13.07.2021 को दोपहर 02.00 तक	13.07.2021 सांय 04.00 बजे
02.	01 कार वाहन (स्विफ्ट डिजायर, वातानुकूलित)	सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु	2.91 लाख				

निर्धारित समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा प्रपत्र शर्ते तथा अन्य आवश्यक विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल **Website: www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी अपलोड किया जा सकता है, अपलोड किये निविदा प्रपत्र के साथ 500/– का निविदा प्रपत्र शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

06/2021 06/07/2021

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -15100/9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

किराये के वाहन हेतु खुली बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम व पूरा पताः ....
2. दूरभाष नं.: ....
3. सन्दर्भः बोली मांगे जाने की सूचना संख्या : .... दिनांक ....
4. किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों की पालना करने में मैं/हम सहमत हैं तथा सभी शर्तों एवं निबन्धनों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा कुल .... वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इस बोली प्रपत्र के साथ वाहन का विवरण अंकित कर दिया गया है।
6. इस बोली के आधार पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि तक वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य है।
7. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक ....
8. बैंक का नाम ....शाखा का नाम ....IFSC Code....................
9. PAN No. ....
10. पिछले 3 वर्षों के कार्य का विवरण ....
11. हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या ... . दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नम्बर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -15100/9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

शर्तें एवं शरायतें

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर कार्यालय को कुल 03 वाहन जिनमें 02 महिन्द्रा बोलेरो (07 सीटर, वातानुकूलित) एवं 01 कार वाहन (स्विफ्ट डिजायर, वातानुकूलित) किराये पर लिए जाने हैं। सभी वाहनों का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान होगा।
2. किराये के वाहन 31.03.2022 तक की अवधि में उपलब्ध करवाये जाने होंगे, परन्तु परिस्थिति व सहमति से इस अवधि की संतोषप्रद सेवाएं रहने पर अनुबन्ध अवधि को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. बोलीदाता को बोली सिलबन्द लिफाफे में ''वाहन किराये पर लेने हेतु बोली'' लिखकर सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर बोलीदाता/फर्म अपना पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर आदि अवश्य लिखें। बोली के साथ रजिस्ट्रेशन, प्राप्ति रसीद संलग्न करना होगा। फर्म/वाहनप्रदाता का वाहन टैक्सी परमिट ही होनी चाहिए। बोली प्रस्तुत करते समय बोली प्रपत्र के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रति, टैक्सी परमिट, वाहन का बीमा, फिटनेस, पाल्यूशन सर्टिफेकेट, वाहन चालक का लाईसेंस, फर्म के पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज बोली फार्म के साथ नहीं पाये जाने पर बोलीयों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्रस्तावक एक या अधिक वाहनों का किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु अपने प्रस्ताव दे सकता है।
5. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिए जा सकते हैं।
6. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी (TAXI) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
7. वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि का 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त निविदाओं में से तुलनात्मक रूप से नये मॉडल के वाहन को कार्यादेश दिया जावेगा।
8. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ–सुथरा रखेगा।
9. वाहन चालक वैध वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
10. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्त्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगी।
11. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जावेगा (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
12. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्त्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्त्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।

13. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शस्ति रु. 2,000/– (दो हजार रुपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
14. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
15. प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस. का Installation अनिवार्य होगा तथा इसकी Monitoring राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा की जावेगी।
16. वाहन किराये का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के अन्तर्गत दी गयी शर्तों एवं दरों के अनुसार किया जावेगा।
17. यदि वित्त विभाग उक्त दरों में भविष्य में या अनुबन्ध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।
18. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त टोल–टैक्स का पुनर्भरण वाहन स्वामी को टोल–टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। टोल–टैक्स के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगें।
19. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.) सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।
20. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है। मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि 300/– भुगतान की जावेगी।
21. सफल बोलीदाता (वाहन प्रदाता) को 500/– के Non-Judicial Stamp Paper पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।
22. वाहन किराये पर लिए जाने हेतु निविदा के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार वाहन किराये पर लिए जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।
23. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
24. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 13.07.2021 तक निम्न दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के कार्यालय जयपुर में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगाः–
    i. वाहन किराये पर लिए जाने की शर्तें, जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होंगे।
    ii. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
    iii. वाहन चालकों के नाम व उनके वैध अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
    iv. पिछले 3 वर्षों का राजकीय कार्यालयों/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
    v. प्रस्तावक के जी.एस.टी. एवं PAN की प्रमाणित फोटो प्रतियां।
    vi. जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र। (Tax Clearance Certificate)
    vii. बैंक खाता की पासबुक की फोटोप्रति।
    viii. बिड प्रपत्र के निर्धारित शुल्क रू. 500/–की राशि का बैंकर्स चैक /डीडी/नकद की रसीद इत्यादि ।

ix. बिड प्रतिभूति की राशि के संबंध में 50/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा–पत्र परिशिष्ट –"ब"।

x. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ नियमानुसार लगानी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
2	आय कर (पैन नम्बर)				

xi. ब्लैक लिस्ट नही होने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट –"स") जो 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित हो।

25. बिड प्रतिभूति राशि का समपहरण : बिड प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा

1. जब बिडदाता बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमें उपान्तरण (Modification)करता हैं ।
2. जब बिडदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो ।
3. जब बिडदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।
4. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार सफाई कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो ।

26. करार एवं बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance security deposit):-

1. सफल बिडदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा, जो 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो तथा जिन किराया वाहन के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी ।
2. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
3. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सदस्य सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष मे राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी, शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद/EGRAS चालान किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है :–

27. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण : बिड कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :–

1. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।
2. जब बिडदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढग से कार्य करने में असफल रहा हो।
3. बिड प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

28. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन हो जिससे कभी भी सम्पर्क किया सकें एवं वाहन 24 घण्टे में कभी भी मांगा जा सकता है। फोन/मोबाईल बन्द होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर वाहन तत्काल कार्यालय द्वारा अन्य एजेन्सी से मंगवाकर

कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसकी दुगुनी राशि अनुबंधित व्यक्ति/एजेन्सी (सफल बोलीदाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।

29. फर्म/संस्था के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना निर्दिष्ट स्थान से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी उपर्युक्तानुसार अंतिम गंतव्य स्थान ही गणना मान्य होगी।
30. इस कार्यालय के उपयोग लिये जाने के अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
31. वाहन की कंडीशन वाहन भेजे जाते समय ठीक होनी चाहिए। अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है और कार्य सम्पादित कराने हेतु अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका हर्जाना स्वरूप 100 प्रतिशत राशि की कटौती व्यक्ति/एजेन्सी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।
32. अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राईविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नहीं होगा। वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादापूर्ण होगा।
33. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।
34. भुगतान हेतु बिल/लॉगशीट वाहन उपयोग में लेने के अधिकतम 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने होगें। साथ ही बिल/लॉगबुक के उपर फर्म/संस्था का पैन नम्बर तथा बैंक खाता नम्बर अंकित किये होने चाहिए। भुगतान नियमानुसार कर की कटौती उपरान्त किया जावेगा।
35. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार सर्विस टैक्स अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा अनिवार्य दायी हो, की कटौती के पश्चात ही किया जावेगा।
36. विभाग न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकारी सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होगा।
37. फर्म/संस्था को दिया गया कान्ट्रेक्ट, फर्म किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म/संस्था को नहीं सौंप सकेगी अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगी।
38. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूट–फूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का ही होगा।
39. इस विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन की समय–समय पर जांच की जावेगी एवं सही नहीं पाये जाने पर या ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वाहन को तत्काल वापस भेज दिया जावेगा तथा भुगतान में से सेवादोष के कारण शास्ति की कटौती की जावेगी।
40. अनुबंधकर्ता फर्म/संस्था के लिए यह आवश्यक होगा की वाहन चालक का सम्पूर्ण विवरण मय नवीनतम फोटोग्राफ के दो प्रतियों में इस कार्यालय में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेगें।
41. वाहन चालक को ई.एस.आई. पी.एफ., मेडिकल, आवास सुविधा आदि एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्तर पर उपलब्ध करायी जा सकती है। विभाग द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

42. बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता को प्रतिभूति राशि के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जावेगी इस घोषणा पत्र पर 50/– की स्टाम्प ड्यूटी तथा इस पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। (एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020

43. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

44. मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम निष्पादन करने के लिए सहमत है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नम्बर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

   a. have controlling partners/ shareholders in common; or

   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

   c. have the same legal representative for purposes of the bid; or

   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge / consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/ our Bid submitted to ……………………………….. for procurement of ………………………………… in response to their Notice

Inviting Bids No…………………………… Dated…………………….I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have
4. my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and no`t the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
5. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
6. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

Filling an appeal

(1). If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2). The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3). If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4.) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(b) Determination of need of procurement;
(c) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(d) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(e) Cancellation of a procurement process;
(f) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5.) Form of appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6.) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7.) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
   (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors - Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;

ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above. if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so. The Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM NO. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……… of ………..
Before the …………………………………..(First/ Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant:
(i)Name of the appellant
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Place ……………………………
Date ……………………………..

Appellant's signature

परिशिष्ट –'अ'

<u>बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा</u>

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन सेवाओं/वस्तुओं/स्टोर्स/उपकरणों के लिए बिड दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/अधिकृत विक्रेता/वितरक/सेवा प्रदात्ता है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

(रुपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नोटरी से प्रमाणित)

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी संस्था................ ....को आज दिनांक........................ तक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवही की जा सकेगी।

स्थान– **बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील**

दिनांक–

परिशिष्ट 'द'

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मेरी/हमारी फर्म निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है।निविदा अवधि के दौरान यदि हमारे द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/ संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।''

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली फर्म मय सील

परिशिष्ट- 'अ'

Form of Bid-Securing Declaration

No. :
Alternative No. :

To :
....
....

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :--

In the capacity of :-----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]